



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ 1942 (श0)
(सं0 पटना 113) पटना, शुक्रवार, 12 फरवरी 2021

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
11 फरवरी 2021

सं0 IV/M¹-1-36/2021-537—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल गया जिलान्तर्गत बोधगया अंचल के मौजा बोधगया एवं मस्तपुरा अवस्थित कुल 30 (तीस) एकड़ भूमि को लीज एग्रीमेन्ट के द्वारा 99 वर्षों के लिए द दलाई लामा ट्रस्ट को “नालंदा इन्स्टीच्यूट ऑफ दलाई लामा” की स्थापना हेतु अन्तरित किये जाने से संबंधित दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क का शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

11 फरवरी 2021

सं0 IV/M¹-1-36/2021-537—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 11th February 2021

No. IV/M¹-1-36/2021- 537--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 the Governor of Bihar is pleased to fully exempt the Stamp Duty payable on registration of the deed related to the transfer of 30

(Thirty) acres land for 99 years lease agreement Situated at Bodh Gaya and Mastpura of Gaya Anchal under Gaya District to the Dalai Lama Trust for the establishment of Nalanda Institute of Dalai Lama.

2. It will come into force with immediate effect.

By the Order of the Governor of Bihar,
Amir Subhani,
Add. Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 113-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>